



92890584

Handwritten signature

பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / இயல் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண்
RAMADURAI VENKATA RAGHAVAN

பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண்
LAKSHMI VENKATA RAGHAVAN

பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண்

பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண்

NO. 8, YGP BABU NAGAR, FIRST MAIN ROAD

MEDAVAKKAM, CHENNAI

PIN: 600100, TAMIL NADU, INDIA

பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண் / பெயர் / சிங்கள அடையாளம் எண்

Z3356350

31/08/2015

CHENNAI

MA3073250503921



U9506876

92890584

U950627E

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को रजिस्ट्रार दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाए।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है तब उसे पासपोर्ट सौंपने की बात भी बताना है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट इसका धारक किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक का उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी शुरुआत भारत में निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल ही जानी चाहिए। निरस्त पूछताछ के बाद ही दुबलीकृत पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

महत्वपूर्ण सूचना / IMPORTANT INFORMATION

ध्यान / OBSERVATION

d. d. sharma